प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 24.09.2019

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 40 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 06 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने पूर्व में हुई अपराध गोष्ठी में जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 23.09.2019 को जनपद के थानों ने 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 80 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. चन्द्र प्रकाश बरूवार पुत्र द्वारिका प्रसाद नि0 बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–341/19, 02. आशु पुत्र जगन्नाथ नि0 बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–342/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामवृक्ष निषाद पुत्र फूलचन्द्र नि0 पुरविहन पुरवा मौजा कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–364/19, 02. गुड्डन लाल पुत्र सद्दन नि0 विश्नोहरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–365/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना खरगूपुर ने नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त रियाजुद्दीन उर्फ राजू पुत्र भुलई नि0 चतुर्भजवा मौजा महादेवा कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ किया गिरफ्तार।

थानाध्यक्ष खरगूपुर ने बताया कि उक्त अभियुक्त को गस्त के दौरान गिरफ्तार कर थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0–187/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा, अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने जालसाजी व अपराधिक बल का प्रयोग करने के वांछित अभियुक्त रामनरेश यादव पुत्र संचित प्रसाद यादव नि0 बाबूराम पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को थाना धानेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–277/18, धारा 419.420.467.468.471.352.504 भादवि के तहत गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादिनी प्रेम कुमारी पत्नी प्रेम कुमार नि0 गोसाईपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा की जमीन को फर्जी व कूटरचित ढंग से वासीयतनामा तैयार कर वादिनी की जमीन पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ को काटने का प्रयास करना व वादिनी द्वारा मना करने पर अपराधिक बल का प्रयोग किया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना धानेपुर में दिनांक 13.11.2018 को अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें आज दिनांक 24.09.2019 को वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर कस्बा धानेपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–21 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।